3/यो0-33/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग 37

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...10...09...19......

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिर से जुडी संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील को सहायता के तहत रू 0.792 लाख (उनासी हजार दो सौ) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिर से जुडी संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील, पिता- मो0 शकील अहमद, ग्राम-समनपुरा, राजा बाजार पो0 वेटनरी कॉलेज, जिला पटना को 5000/- रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिये जाने का न्यायादेश प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा सबा एवं फरहा शकील की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 सितम्बर, 2015 से आर्थिक सहायता रू0 5000/- से प्रतिमाह बढ़ाकर रू0 20000/- प्रतिमाह किया गया है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वितीय वर्ष 2019-20 में सबा एवं फरहा शकील को 20000/- रू0 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कुल 0.792 लाख (उनासी हजार दो सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना उदवरूय	स्वीकृत राशि (कुल योजना उदव्यय का 33 प्रतिशत)
1	सिर से जुडी संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील को सहायता	51-2235021020021	0021-37-01	2.40	0.792
कुल 0.792 लाख (उनासी हजार दो सौ) मात्र					**0.792**

2. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि जिला पदाधिकारी, पटना को आवंटित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, पटना आवंटित राशि की निकासी कर सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना के माध्यम से सबा एवं फरहा शकील को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, दिव्यांगजन

सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराऐंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से किया जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-33/2018 के टिप्पणी पृ0-06/टि0 पर दिनांक-05.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-33/2018 के टिप्पणी पृ0-06/टि0 पर दिनांक-09.04.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-33/2018 97 पटना-15, दिनांक- 10.04.19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/लेखा-शाखा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग कोषांग, पटना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-33/2018 97 पटना-15, दिनांक- 10.04.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)